

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी- /2018/

दिनांक:--

आदेश

अधीक्षक, उम्मेद अस्पताल, जोधपुर के अधिन कार्यरत निम्न नर्स-2, (परिवीक्षाधीन) के आवेदित अवकाश प्रार्थना पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कारणों से असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	दिनांक से	दिनांक तक	कुल अवधि	अवकाश का प्रकार
1.	राधिका राठौड़	21.03.16 04.07.16 17.07.16	25.03.16 12.07.16 29.07.16	05 09 13	चिकित्सा प्रमाण पत्र
2.	अंजू कुमारी	21.11.17	05.12.17	15	चिकित्सा प्रमाण पत्र
3.	चंचल सौलकी	15.03.17 16.03.17 23.05.17 05.10.17	- 22.03.17 01.06.17 09.10.17	01 07 10 05	चिकित्सा प्रमाण पत्र
4.	हीना गुर्जर	23.02.17	14.03.17	20	चिकित्सा प्रमाण पत्र
5.	जानू भाटी	06.02.17 13.11.16 09.08.17	17.02.17 16.11.16 15.08.17	12 04 07	चिकित्सा प्रमाण पत्र
6.	मन्जु कुमारी/ रामनिवास चौधरी	10.10.16 25.05.17 21.08.17	15.10.16 03.06.17 25.08.17	06 10 05	चिकित्सा प्रमाण पत्र
7.	मन्जु कुमारी/प्रभु राम	22.09.17 08.01.18 04.02.18	27.09.17 02.02.18 11.02.18	06 26 08	चिकित्सा प्रमाण पत्र
8.	ममता टांक	24.06.16	28.06.16	05	चिकित्सा प्रमाण पत्र
9.	मनीषा प्रजापत	27.04.17	13.05.17	17	चिकित्सा प्रमाण पत्र
10.	त्रमता भाटिया	28.10.17	03.11.17	07	चिकित्सा प्रमाण पत्र
11.	नेहा वैष्णव/ सत्यनारायण	24.03.16	07.04.16	15	चिकित्सा प्रमाण पत्र
12.	प्रियंका गहलोत	07.02.17 22.03.16	21.02.17 08.04.16	15 18	चिकित्सा प्रमाण पत्र
13.	रामेश्वरी जीनगर	12.10.17	21.10.17	10	चिकित्सा प्रमाण पत्र
14.	रेणु /रवि चौधरी	03.12.16	16.12.16	14	चिकित्सा प्रमाण पत्र
15.	सुनिता कुमारी	03.02.17	28.02.17	26	चिकित्सा प्रमाण पत्र

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक **F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1** दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक उनके परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

~~sch~~

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 09-1-2019

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी- 33/2018/ 45

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, उम्मेद अस्पताल, जोधपुर।
2. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करें।
3. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर